S.S.T. no. 61/2017

02.05.2019

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दां0) की ओर से प्रार्थना पत्र 29अ अंतर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 अभियुक्त बिहारी पुत्र सहदेव निवासी वीगौर, थाना रिजोर, जिला एटा को प्रस्तुत मामले में तलब करने हेतु इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मुकदमें में वादी रघुवीर प्रसाद व चुटैल श्रीमती ममता की साक्ष्य अंकित हो चुकी है। वादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त ओम सिंह के साथ बिहारी का नाम भी अंकित किया था। पी.डब्ल्यू.1 व पी.डब्ल्यू.2 ने अपने सशपथ कथनों में अभियुक्त बिहारी द्वारा जातिसूचक गालियां देने की साक्ष्य दी है तथा उक्त साक्षियों द्वारा विवेचना के दौरान विवेचक को दिये धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानों में भी अभियुक्त बिहारी द्वारा जातिसूचक गालियां देना बताया गया है। विवेचक ने अभियुक्त बिहारी को विधिविरुद्ध तरीके से विवेचना के दौरान मुकदमें से निकाल दिया है। धारा 161 दं.प्र.सं. के बयान, प्रथम सूचना रिपोर्ट व न्यायालय में हुए सशपथ कथनों में अभियुक्त बिहारी के द्वारा जाति सूचक गालियां दिया जाना प्रथम दृष्ट्या साबित है। अतः उक्त आधारों पर अभियुक्त बिहारी को तलब किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा रघुवीर प्रसाद द्वारा 2 अभियुक्तगण ओम सिंह व बिहारी के विरुद्ध थाना रिजोर पर पंजीकृत कराई गयी थी। विवेचना के उपरांत विवेचक द्वारा आरोप पत्र धारा 323, 324, 504,506 भा.दं.सं. एवं धारा 3(1)ध एस.सी.एस.टी. ऐक्ट के अंतर्गत ओम सिंह के विरुद्ध प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा आरोप ओम सिंह के विरुद्ध विरचित किया गया तथा आरोप विरचित करने के उपरांत पत्रावली पर अब तक 2 साक्षी परीक्षित कराये गये हैं।

पी.डब्ल्यू.1 के रूप में अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह रघुवीर प्रसाद वादी मुकदमा को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया, कि ''दिनांक 08.06.2017 को सुबह 08.00 बजे मैं अपने खेत पर जा रहा था, गांव के पास खेत में ओम सिंह घास काट रहा था। ओम सिंह ने मुझे गालियां

देते हुए कहा कि धोबिया कहॉ जा रहा है, उसने मेरे ऊपर दरांती से बार किया और कहा कि साले मैं तुझे 08 दिन के अन्दर ऊपर पहुॅचा दूॅगा। गाली देते हुए उसने दरांती से मेरा सिर काटने का प्रयास किया, मैं किसी तरह बच गया। उसने दरांती मेरी सीधी हथेली में मार दी। मेरी सीधे हाथ की उंगली कट गई जिससे काफी खून निकलने लगा, तब तक मेरी बहू ममता बाहर आई। ओम सिंह ने उसके साथ भी हाथापाई की और मारपीट की। इससे ममता को भी चोटें आईं। उसी समय बिहारी आ गया, उसने भी गाली गलौज दी।''

इस प्रकार वादी मुकदमा ने अपने साथ हुई घटना के समय बिहारी के आ जाने व उसके द्वारा गाली–गलौज करने की बात कही है।

पी.डब्ल्यू.2 ममता देवी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि ''मैंने अपने श्वसुर का बचाने का प्रयास किया तथा ओम सिंह ने मेरे साथ हाथा पाई करते हुए दरांती से मुझे चोट पहुॅचाई। उसी समय ओम सिंह का भतीजा बिहारी आ गया और उसने भी मुझे व मेरे श्वसुर को जातिसूचक गालियां दीं।''

इस प्रकार पी.डब्ल्यू.2 ने भी बिहारी द्वारा मौके पर पहुॅच कर वादी मुकदमा व उनकी बहू ममता देवी (स्वयं) को गाली–गलौज करने व जातिसूचक गालियां देने की बात कही है। इन परिस्थितियों में न्यायालय के विचार में बिहारी को विचारण हेतु तलब किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र 29अ अंतर्गत धारा 319 दं.प्र.सं. स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 29अ अंतर्गत धारा 319 जा0फौ0 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त बिहारी पुत्र सहदेव निवासी वीगौर थाना रिजोर, जिला एटा को धारा 323,504 व 506 भा.दं.सं. एवं धारा 3(1)ध एस.सी.एस.टी. ऐक्ट के अंतर्गत विचारण हेतु बजरिये सम्मन तलब किया जाय। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 03.06.2019 को पेश हो।

(खलीकुज्ज़मा)
अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश(एस0सी0एस0टी0ऐक्ट),एटा
02.05.2019